न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 101/2018 – निगरानी

कमलेश दास दत्तक पुत्र बनाम मदन दास वैष्णव, निवासी अण्टाली, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

1. सत्येन्द्र सिंह उर्फ सत्तु पिता देवी सिंह राठौड़ निवासी अण्टाली, तहसील आसींद
2. धनकंवर बेवा देवी सिंह राठौड़, निवासी– अण्टाली, तहसील आसींद
3. ग्राम पंचायत अण्टाली, जरिये सचिव ग्राम पंचायत अण्टाली, तहसील आसींद
4. ग्राम पंचायत अण्टाली, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अण्टाली, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा

–निगराकार

– गैर निगराकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम निगरानी विरूद्ध निर्णय ग्राम पंचायत अण्टाली तहसील आसींद, पत्रावली संख्या 39 आदेश दिनांक 18.08.1983

उपस्थित –

1. श्री रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता – गैर निगराकार संख्या 01 व 02 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.09.2022

निगराकार की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम विरूद्व गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि गैर निगराकार संख्या 3 व 4 द्वारा विधि विरूद्ध तरिके गैर निगराकार संख्या 1 व 2 के पूर्वाधिकारी देबीसिंह पिता उंकार सिंह राठौड़ के पक्ष में तथाकथित पट्टा जारी किया है जो आदेश विधि विरूद्ध होकर निरस्त होने योग्य है। निगराकार के पुश्तैनी हक अधिकार एवं आधिपत्य की एक जायदाद वाके आबादी हल्का अण्टाली, तहसील आसींद जिला भीलवाड़ा में स्थित है, जिस पर निगराकार के पूर्वाधिकारी मदनदास पिता कल्याण दास वैष्णव (साधु) ने दिनांक 21.01.1983 को उक्त जायदाद पर चुना भट्टा स्थापित करने हेतु बैंक ऑफ बडौदा शाखा गुलाबपुरा से ऋण प्राप्त किया गया एवं उक्त ऋण की सिक्योरिटी बतौर गारन्टर देवीसिंह पिता उंकार सिंह राठौड़ एवं बालूराम पुरोहित ने गारन्टी दी एवं निगराकार के पूर्वाधिकारी द्वारा उक्त ऋण की पुनः अदायगी नहीं करने पर बैंक द्वारा एक वादपत्र बाबत रकम वसूली राशि 40,444.20 रूपये हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश (व.ख) एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुलाबपुरा के समक्ष ऋणी मदनदास एवं गारन्टर बालूराम पुरोहित एवं देबीसिंह पिता उंकार सिंह राजपूत के विरुद्ध पेश किया गया जिसमें

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

अधिकारिता रखती हैं, न की बिलानाम भूमि में से।

विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने प्रश्नगत पटटे पर स्वयं कब्जा होने बाबत् कोई पुष्ट साक्ष्य एवं दस्तावेज पेश नही किये गये एवं न ही स्वयं का प्रश्नगत पटटा होने के प्रश्न पर मूल पटटा अथवा पटटे की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गयी।

ग्राम पंचायत के पत्रांक दिनांक 02.05.2019 व 20.02.2020 अनुसार प्रश्नगत पटटे की भूमि बिलानाम होने के कथन पर विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने कोई खण्डन एवं साक्ष्य प्रस्तुत नही किये।

उपरोक्त विवेचन अनुसार ग्राम पंचायत अण्टाली के पत्रांक दिनांक 02.05.2019 व 20.02.2020 अनुसार प्रश्नगत पटटे की भूमि बिलानाम होने से प्रश्नगत पटटा प्रारब्ध से ही शून्य होकर खारिज होने योग्य ठहरता हैं। जिससे निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राज अधिनियम के तहत निगरानी स्वीकार की जाती हैं। ग्राम पंचायत अण्टाली तहसील आसीन्द का प्रश्नगत पट्टा पत्रावली संख्या 39 आदेश दिनांक 18.08.1986 से जारी पटटे को निरस्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत अण्टाली तहसील आसीन्द को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.09.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा।